संख्या– /X–2–2018–12(31)/2012

प्रेषक,

आर0के0 तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 31 अगस्त, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–27 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना "रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेंट" हेतु स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्रांकः नि0–77/3–5(रिसर्च टैक्नोलोजी) दिनांक 10.07.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–27 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना **"रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेंट"** हेतु स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष शासन के पत्र संख्या–1281/X–2–2018–12(31)2012 दिनांक 24.05.2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹24.90 लाख के उपरान्त निम्नांकित तालिकानुसार **₹38.80 लाख (₹अड़तीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–27 **(धनराशि ₹ हजार में)**

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
1	2
2406–वानिकी तथा वन्य जीवन, 01–वानिकी, 004–अनुसंधान, 02–00– रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डैवलपमैंट	
25–लघु निर्माण	2000
29–अनुरक्षण	1500
42–अन्य व्यय	380
योग	**3880**

(₹ अड़तीस लाख अस्सी हजार मात्र)

1. मानक मद 25–लघु निर्माण में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित प्रत्येक निर्माण कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो अर्थात इस धनराशि से ₹5.00 लाख तक की ही लागत के निर्माण कार्य कराये जाए। सर्वप्रथम यदि किसी कार्य हेतु गत वर्ष की अवशेष देयता हो तो सर्वप्रथम अवशेष कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त की जाए तदोपरान्त नए कार्यों पर व्यय किया जाय।
2. धनराशि व्यय करने से पूर्व प्रस्तावित कार्यों के आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
3. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के आदेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दि0 02.04.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये तथा धनराशि का आहरण करने से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण और औचित्य पर सक्षम स्तर से निर्णय कर लिया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से अनुमानित लागत की सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिस हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराया जाता है, तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
5. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
6. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही बजट प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
9. आहरण एवं व्यय के समय मितव्ययता का ध्यान रखा जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की प्रगति तथा उद्देश्य की पूर्ति संतोषजनक है।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–638/xxx–1–12(25)2011, दि0 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन, 01–वानिकी, 004–अनुसंधान, 02–00 रिसर्च एवं टैक्नोलॉजी के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित मानक मदों में अंकित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा। कम्प्युटराईज्ड अलोटमैन्ट आई0डी0संख्या–S1808270117 दिनांक 16/08/2018 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दि0 02.04.2018 के अनुपालन में जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या– 1706/X–2–2018–12(31)/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **1706/x-2-2018-12(31)2012** अलोटमेंट आई डी - **S1808270117**

अनुदान संख्या - **027** आवंटन पत्र दिनांक -16-Aug-2018

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

004 - अनुसंधान

02 - रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य सेक्टर) 2406 01 800 12 से स्थानान्तरित)

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कार्यालय व्यय	300000	0	300000
09 - विद्युत देय	250000	0	250000
10 - जलकर / जल प्रभार	25000	0	25000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	100000	0	100000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100000	0	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	100000	0	100000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	700000	0	700000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	80000	0	80000
18 - प्रकाशन	35000	0	35000
25 - लघु निर्माण कार्य	0	2000000	2000000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	400000	0	400000
29 - अनुरक्षण	0	1500000	1500000
42 - अन्य व्यय	0	380000	380000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	200000	0	200000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	200000	0	200000
	2490000	**3880000**	**6370000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3880000